

**न्यायालय जिला कलक्टर एवं प्रथम अपीलेट अधिकारी, भीलवाड़ा**  
**(सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005)**

पीठासीन अधिकारी आशीष मोदी (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 29/2022 अपील सू.प्र.

**उनवान**

श्री सुनील कोठारी निवासी कोठारी बनाम लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी  
भवन सिटी कन्ट्रोल रूम के पीछे, अधिकारी (न्याय) एवं अति० जिला  
बाजार नं० 2, भीलवाड़ा कलक्टर (शहर) भीलवाड़ा

—अपीलार्थी

—प्रत्यर्थी

**अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005**

उपस्थित :- प्रत्यर्थी की ओर से विभागीय प्रतिनिधि



**निर्णय**

दिनांक : 27.04.2022

अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी (न्याय) व अति० जिला कलक्टर (शहर), भीलवाड़ा के विरुद्ध दिनांक 23.03.2022 को प्राप्त होकर निवेदन किया गया कि अपीलार्थी ने विहित अधिनियम की धारा 6(1) के अंतर्गत निर्धारित शुल्क का पोस्टल ऑर्डर संख्या 54 एफ 947357 राशि 10.00 रुपये के साथ एक आवेदन दिनांक 20.01.2022 को लोक सूचना अधिकारी एवं अति० जिला कलक्टर (प्रशासन), भीलवाड़ा को प्रेषित किया। उक्त आवेदन से वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी (न्याय) व अति० जिला कलक्टर (शहर), भीलवाड़ा से संबंधित होने से आवेदन सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के तहत अंतरित किया गया।

प्रस्तुत अपील इस न्यायालय में दिनांक 04.04.2022 को पंजीबद्ध की जाकर अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को सूचना पत्र जारी किये गये। प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी (न्याय) व अति० जिला कलक्टर (शहर), भीलवाड़ा द्वारा पत्रांक 22781 दिनांक 12.04.2022 से जवाब प्रस्तुत किया गया। अपीलार्थी द्वारा चाही गयी सूचना के संबंध में प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के तथ्य इस प्रकार हैं -

1. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत प्रस्तुत आवेदन में चाही गयी सूचना का बिन्दुवार जवाब/सूचना नियमानुसार न्याय अनुभाग के पत्रांक 22521 दिनांक 09.03.2022 द्वारा जरिये रजिस्टर्ड डाक प्रेषित कर दी गयी है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध करा दिये जाने से अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाती है।

आदेश आज दिनांक 27.04.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर जारी किया गया।

(आशीष मोदी)

जिला कलक्टर एवं  
प्रथम अपीलेट अधिकारी

भीलवाड़ा  
जिला कलक्टर  
भीलवाड़ा